

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./108/2022

1. अजीज पुत्र अशरफ(मृतक)
2. जैतुन पत्नी अजीज(मृतक)
जरिये वारिसान
1/1 बानू पुत्री अजीज जाति मुसलमान निवासी ग्राम देवलियांकलां तहसील भिनाय केकड़ी
3. जमीला बानू पुत्री नजीर
4. नजमा बानू पुत्री नजीर
5. निसार मोहम्मद पुत्र नजीर
6. रफीक मोहम्मद पुत्र नजीर
7. रसीदा पुत्री नजीर
8. रहमत पत्नी नजीर
9. लियाकत पुत्र नजीर
जातिगण मुसलमान निवासी ग्राम देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला, केकड़ी



प्रार्थी

बनाम

1. मैना बानू पत्नी महरबान जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. मुमताज पत्नी मीठू जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. मोहम्मद साहगीर पुत्र ईदमोहम्मद जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. रहीसा पुत्री महरबान जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. रमजान खां पुत्र फकीर मोहम्मद जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. शकीला पुत्री महरबान जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. शकीला बानू पुत्री अब्दुल हकीम जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. शदीक पुत्र मीठू जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी(मृतक न्यायालय आदेश से विलोपित)
9. शाहबुदीन पुत्र फकीर मोहम्मद जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
10. सफी मोहम्मद पुत्र मीठू जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
11. सरीफ पुत्र मीठू जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
12. सलीम पुत्र महरबान जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
13. अनारदीन पुत्र महरबान जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
14. अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल हकीम जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी(मृतक) बजाय उसके बारिसान

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

- 14/1 सोहेल पुत्र अब्दुल गफ्फार जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
- 15/2 आरजू पुत्री अब्दुल गफ्फार जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
15. इमरान पुत्र महरबान जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
16. चांद मोहम्मद पुत्र मीठू जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
17. जमील खां पुत्र मीठू जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
18. जमीला बानू पुत्री अब्दुल हकीम जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
19. ताज मोहम्मद पुत्र मीठू जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
20. नजकुदीन पुत्र फकीर जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
21. निजामुदीन पुत्र फकीर जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
22. मैना पत्नी महरबान जाति पिनारा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
23. हरजी पुत्र बालू जाति गुर्जर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
24. हनुमान पुत्र काना जाति बारी(मृतक) बजाय वारिसान
- 24/1 उमराव पुत्र हनुमान जाति बारी निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
25. बरदी पत्नी कजोड़ जाति गुर्जर निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
26. रमेश पुत्र मदनलाल जाति दरोगा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
27. भंवरसिंह पुत्र देवी जाति दरोगा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
28. महावीर सिंह पुत्र देवी जाति दरोगा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
29. अमरी पुत्री मोहन जाति तेली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
30. नोरत पुत्र अमरा जाति तेली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
31. बदामी पत्नी अमरा जाति तेली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
32. बसन्ती पुत्री अमरा जाति तेली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
33. रोशन पुत्र अमरा जाति तेली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
34. सायरी पुत्र मोहन जाति तेली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम
उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री मोहम्मद युसुफ
2 . पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:-27.12.2023

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा देवलियांकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां ए भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 1793 में दर्ज खसरा नं. 1004 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 4497 रकबा 0.53, खसरा नम्बर 4498 रकबा 0.11 और खसरा नम्बर 4502 रकबा 0.28 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 1.02 है0 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण रथाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 34 प्रार्थी की कब्जे पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 35 सरकार जरिये तहसीलदार



उपस्यण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 14 तथा 24 की फौती सुचना प्राप्त होने से उनकी विधिक वारिष्ठान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर तलबी करायी गई। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 14/1, 14/2, 18, 22 तथा 25 लगायत 34 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपरिथत नहीं होने के कारण दिनांक 19.12.2023 को पत्रावली में अप्रार्थी सं० 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 14/1, 14/2, 18, 22 तथा 25 लगायत 34 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में अप्रार्थीगण संख्या 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 तथा 24/1 द्वारा उपरिथत होकर नियमानुसार पत्थरगढी बाबत अनापत्ति प्रकट की तथा इस बाबत अपनी टिप्पणी आदेशिका पर अंकित की। अप्रार्थी संख्या 8 की फौती सुचना प्राप्त होने से उक्त अप्रार्थी का नाम पत्रावली से विलोपित किया गया। पत्रावली में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम देवलियाकलां के खाता खंख्या 1793 संवत् 2073-2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा देवलियाकलां पटवार क्षेत्र देवलियाकलां ए भू०अ०नि० क्षेत्र देवलियाकलां के खाता सं० 1793 में दर्ज खसरा नं. 1004 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 4497 रकबा 0.53, खसरा नम्बर 4498 रकबा 0.11 और खसरा नम्बर 4502 रकबा 0.28 है० कुल किता 04 कुल रकबा 1.02 है० हेतु नायब तहसीलदार देवलियाकलां को 1000/- रु(एक हजार रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)